भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3301

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

इ-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

3301. श्री अरविंद सावंत :

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

श्री संजय जाधव :

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है ;

(ख) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति और इसके अंतर्गत अब तक की गई उल्लेखनीय प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसी मिशन के अंतर्गत डिजिटलीकृत किए गए अधीनस्थ और जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है और उक्त परियोजना के संबंध में इन न्यायालयों द्वारा क्या अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ;

(ङ) उक्त परियोजना के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को अपने कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) इंटरनेट तक पहुंच न रखने वाले और डिजिटल डिवाइड का सामना करने वाले वादियों को न्यायालयों की नागरिक केंद्रित सेवाओं तक कुशल और समयबद्ध पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्कीम के हिस्से के रूप में, ई-न्यायालय परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी

विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। । ई- न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ई-न्यायालय का प्रथम चरण 2015 में संपन्न हुआ जिसमें 14,249 न्यायालय स्थलों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। दूसरे चरण के अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

i. डब्ल्यूएएन : डब्ल्यूएएन परियोजना के हिस्से के रूप में, ओएफसी, आरएफ, वीसैट जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए 2992 न्यायालय परिसरों (99.3% साइटों) के 2972 को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति प्रदान की गई है।

ii. मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) आवश्यकता आधारित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है। मामलों के सीधे प्रसारण में मदद करने के लिए सीआईएस में एक कोविड -19 प्रबंधन पैच विकसित किया गया है, जिससे न्यायिक अधिकारियों को तत्काल मामलों को बनाए रखने में मदद मिलती है और मामलों को वाद सूची पर तत्काल स्थगित नहीं किया जाता है।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करते हुए,लचीली खोज प्रौद्योगिकी के साथ ई- न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित वकील और वादी 20.86 करोड़ मामलों की स्थिति की जानकारी और 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों तक पहुंच सकते हैं। मामलों में देरी का कारण भी सम्मिलित किया गया है। ओपन एपीआई की शुरुआत की गई है जो सरकारी विभागों को अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एनजेडीजी डेटा का उपयोग करने की अनुमति देता है।

iv. 7 प्लेटफॉर्म नागरिक केंद्रित सेवाए या सेवा वितरण चैनलों के लिए वकीलों/वादियों को मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए है। सेवाएं एसएमएस पुश एंड पुल (रोजाना भेजे जाने वाले 2,00,000 एसएमएस), ईमेल (2,50,000 रोजाना भेजे जाने वाले), बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवाएं पोर्टल (35 लाख हिट रोजाना), न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), इंफो कियोस्क, ई-न्यायालय मोबाइल हैं। वकीलों/वादियों के लिए ऐप (30 अप्रैल 2022 तक 79.65 लाख डाउनलोड के साथ) और न्यायाधीशो के लिए जस्टआईएस ऐप (4 जुलाई 2022 तक 17,369 डाउनलोड) हैं।

v. वर्चुअल न्यायालय: 04.07.2022 तक, 16 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को देखने के लिए 20 वर्चुअल न्यायालय हैं। वर्चुअल न्यायालय को एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एक न्यायाधीश द्वारा प्रशासित किया जा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में विस्तारित हो सकता है और 24X7 कार्य कर सकता है। इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की है और 271 करोड़ रु. का जुर्माना किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एनआई अधिनियम की धारा 138 के अधीन चेक बाउंस मामलों की सुनवाई के लिए 34 डिजिटल न्यायालयों की शुरूवात हुई हैं।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए,जिला और उच्च न्यायालयों ने जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 13.06.2022 तक 2,61,338 सुनवाई की। 3240 न्यायालयों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी संचालित की गई हैं। 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करा दी गई है। अतिरिक्त 1500 वीसी लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं। तेलंगाना और उत्तराखंड में मामलों के त्वरित निपटान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वाई-फाई और कंप्यूटर से लैस मोबाइल ई-न्यायालय वैन शुरू की गई है। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यवाही में सम्मिलित हो सकें।

vii. ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0)वकालतनामा ऑनलाइन जमा करना, ई-हस्ताक्षर करना, शपथ की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन भुगतान, कई आईएएस/आवेदन दाखिल करना, पोर्टफोलियो प्रबंधन और द्विभाषी मोड आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए शुरू किया गया है। न्यायालय शुल्क, जुर्माना, दंड और न्यायिक जमा का ऑनलाइन भुगतान भी https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से शुरू किया गया है।

viii. ई-सेवा केंद्र: न्याय वितरण को समावेशी बनाने और डिजिटल विभाजन के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। 30.04.2022 तक, 26 उच्च न्यायालयों के अधीन 500 ई-सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है। सभी ई-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नागपुर में एक न्याय कौशल केंद्र शुरू किया गया।

ix. 'निर्णय और आदेश खोज' पोर्टल का उद्घाटन उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों के लिए एक भंडार प्रदान करके आसानी से निर्णय खोजने में अपने हितधारकों की सुविधा के लिए किया गया है। इसे https://judgments.ecourts.gov.in पर पहुँचा जा सकता है, जो बेंच द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/ प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम,धारा,निर्णय,तारीख से,तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं को समाहित करता है।

x. इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग (एनसटीईपी) को प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया तामील करने और सम्मन जारी करने के लिए विकसित किया गया है। इसे वर्तमान में 28 उच्च न्यायालयों में लागू किया गया है।

xi. न्याय घड़ी : न्याय क्षेत्र के बारे में जनता में जागरूकता लाने, विभाग की विभिन्न योजनाओं का विज्ञापन करने और जनता को विभिन्न क्षेत्रों की प्रास्थिति देने के लिए 21 उच्च न्यायालयों में 32 न्याय घड़ियां लगाई गई हैं।

xii. सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम वेबसाइट (एस3डब्ल्यूएएस) वेबसाइट: एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर आधारित ई-समिति के लिए एक नई दिव्यांग अनुकूल वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव है। अन्य सभी न्यायालय वेबसाइटों को विद्यमान प्रणाली से एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड किया जा रहा है जो सुरक्षित, मापनीय और सुलभ हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री सुलभ है जिससे दिव्यांग उपयोगकर्ता भी सहायक तकनीकों का उपयोग करके जानकारी तक पहुंच सकें।

xiii. आईईसी और प्रशिक्षण: आईईसी अभियान के हिस्से के रूप में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और जनता को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे कि

क. ई-समिति वेबसाइट: सभी हितधारकों के बीच ई-न्यायालय परियोजना से संबंधित जानकारी के प्रसार और उच्च न्यायालयों को उनकी उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपलोड करने में सक्षम बनाने के लिए ई-समिति के लिए विशेष रूप से शुरु किया गया और न्याय विभाग की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है।

ख. ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता और परिचित: बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, गोवा,महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए वेबिनार आयोजित किए गए। ई-फाइलिंग पर मैनुअल और ब्रोशर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

ग. यूट्यूब चैनल: ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए ' ई-न्यायालय सेवाएँ' शीर्षक के अधीन हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 7 क्षेत्रीय भाषाओं में 12 हेल्प वीडियो अपलोड किए गए हैं और जागरूकता के हिस्से के रूप में अधिवक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल हेल्प डेस्क के माध्यम से और सोशल मीडिया पर ई-समिति यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं।

घ. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई-समिति प्रशिक्षण: आईसीटी पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें राज्यों के न्यायाधीशों, न्यायालयों के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं सहित लगभग 3,60,993 हितधारकों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने देश भर में पहले ही 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इन 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने अधिवक्ताओं को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ई-न्यायालय सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया है और साथ ही मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी की है। ई-समिति ने ई-समिति वेबसाइट पर प्रमाणपत्रों को डाल करके ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यूआर कोड के साथ डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करके मास्टर प्रशिक्षकों को स्वीकार और सराहना की है। इन प्रमाणपत्रों को मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके प्रमाणित किया जा सकता है।

(ग) : ई-न्यायालय परियोजना के दूसरे चरण में 1670 करोड़ रु. के कुल परिव्यय में से, सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित विभिन्न संगठनों को 31.03.2022 तक 1668.43 करोड़ रु. रुपये की राशि जारी की है। इसमें सभी उच्च न्यायालयों को जारी 1164.37 करोड़ रु. सम्मिलित किए गए है। जारी की गई निधियों का अभिकरण-वार और उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध-I** पर संलग्न है।

(घ) : 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कम्प्यूटरीकृत हैं और अब तक ई-न्यायालय दूसरे चरण के अधीन आईसीटी सक्षम हैं। (उच्च न्यायालय और राज्यवार विवरण **उपाबंध-II** में दिया गया है)

(ङ) : न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. 14,249 न्यायालयों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर, नए न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और अपेक्षित न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 646.16 करोड़ ₹ प्रदान किए गए हैं।

2. विद्यमान न्यायालय परिसरों और नए न्यायालय परिसरों में तकनीकी अवसंरचना की स्थापना के लिए 271.02 करोड़ ₹ जारी किए गए हैं।

3. पीएच-I में न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किए गए अप्रचलित लैपटॉप के प्रतिस्थापन और नए न्यायिक अधिकारी को लैपटॉप और अन्य आईटी सुविधाओं के उपबंध के लिए 14.32 करोड़ ₹ प्रदान किए गए हैं।

4. न्यायालयों और जेलों में वीसी उपकरण लगाने के लिए 6.31 करोड़ ₹ का उपबंध किया गया है।

5. सभी न्यायालय परिसरों में क्लाउड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 124.98 करोड़ ₹ जारी किए गए हैं।

6. वैन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 317.96 करोड़ ₹ जारी किए गए हैं।

7. 5% न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए 36.6 करोड़ ₹ जारी किए गए हैं।

8. सीआईएस, ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर विकास घटकों के लिए 62.27 करोड़ ₹ प्रदान किए गए हैं।

(च) : इंटरनेट तक पहुंच नहीं रखने वाले और डिजिटल विभाजन का सामना करने वाले वादी को न्यायालय की नागरिक केंद्रित सेवाओं तक कुशल और समयबद्ध पहुंच प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम:

1. **ई-सेवा केंद्र** वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को समाप्त करने के लिए शुरू किए गए हैं। सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को पायलट परियोजना के रूप में कवर करते हुए, सभी न्यायालय परिसरों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने 235 ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसर के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वकील या वादी को सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। 30.04.2022 तक, 26 उच्च न्यायालयों के अधीन 500 ई-सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है। इन्हें ई-न्यायालय परियोजना के साथ-साथ राज्य के वित्त पोषण से वित्त पोषित किया गया है।

30 अक्टूबर 2020 को, महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। **ई-संसाधन केंद्र "न्याय कौशल"** भारत के उच्चतम

न्यायालय, उच्च न्यायालयों और देश भर के जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों के लिए उद्धारक होगा जो प्रौद्योगिकी का खर्च नहीं उठा सकते। यह देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करके समय बचाने,परिश्रम से बचने,लंबी दूरी की यात्रा करने और लागत बचाने में लाभ प्रदान करेगा, वस्तुतः सुनवाई, स्कैनिंग, ई- न्यायालय सेवाओं तक पहुंच आदि का उपबंध करेगा।

2. **एसएमएस पुल प्रसुविधा** का उपयोग करते हुए हितधारक मामले की सोलह वर्णों की सीएनआर संख्या 97668-99899 नंबर पर भेजकर मामले की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

3.**एसएमएस पुश सुविधा** किसी मामले में फाइल,रजिस्ट्रीकरण,स्थगन,संवीक्षा, सूचीकरण, मामले का स्थानांतरण, निपटान, आदेशों को अपलोड करना आदि जैसे मामलों में प्रत्येक घटना के घटित होने पर उनके मोबाइल न्यायालय में रजिस्टर्ड होने पर एसएमएस प्राप्त करने के लिए वादियों और अधिवक्ताओं जैसे हितधारकों को प्रदान की जाती है।

4. **सर्विस डेस्क** संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक हितधारकों के लिए की स्थापना की जाएगी।

5. **कियोस्क** देश भर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं। वादी और अधिवक्ता कियोस्क पर मामले की स्थिति, वाद सूची आदि देख सकते हैं। यही जानकारी प्रत्येक न्यायालय परिसर में स्थापित न्यायिक सेवा केन्द्र से भी प्राप्त की जा सकती है।

****

उपाबंध-1

ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3301 जिसका उत्तर 05/08/2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

ई-न्यायालय चरण-II के अंतर्गत निधियां जारी करने की अभिकरण वार स्थिति

अभिकरण	**जारी की गई निधी (31.03.2022तक) (रूपए करोड़ में)**
उच्च न्यायालय	1164.37
एनआईसी/एनआईसीएसआई	180.57
बीएसएनएल	293.68
ई-समिति, एससीआई	13.50
अन्य विविध व्यय (वेतन, प्रचार आदि)	16.31
कुल	**1668.43**

ई-कोर्ट चरण- II के अधीन 30.06.2022 को वर्षवार और उच्च न्यायालय जारी और उपयोग निम्नानुसार हैं:

क्र सं.	उच्च न्यायालय	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-2022			कुल		
		जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	उपयोग %
1	इलाहाबाद	31.14	31.14	100.00	20.88	20.88	100.00	20.57	20.27	98.58	8.07	7.96	98.62	15.04	8.91	59.23	13.79	5.11	37.04	0.00	0.00	0.00	109.48	94.27	86.10
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00
3	बॉम्बे	30.39	30.39	100.00	38.25	31.72	82.92	47.22	41.87	88.66	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86	0.55	6.19	0.00	0.00	0.00	125.24	104.52	83.46
4	कलकत्ता	12.14	9.95	81.96	9.17	8.36	91.21	10.72	1.49	13.91	0.13	0.08	61.45	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09	19.88	53.60
5	छत्तीसगढ	3.82	3.82	100.00	6.03	6.03	100.00	9.34	9.34	100.00	1.33	1.33	100.00	4.44	4.29	96.64	2.34	2.01	85.63	0.00	0.00	0.00	27.31	26.82	98.22
6	दिल्ली	5.87	5.87	100.00	5.41	5.16	95.28	8.97	8.73	97.29	3.54	1.15	32.47	0.00	0.00	0.00	3.00	0.63	20.89	0.00	0.00	0.00	26.80	21.53	80.35
7क	गुवाहाटी	0.59	0.56	94.70	4.33	2.00	46.15	1.37	1.36	99.26	2.85	2.82	99.07	0.98	0.81	82.81	1.52	0.18	11.92	1.26	0.00	0.00	12.90	7.73	59.96
7ख	गुवाहाटी (असम)	5.19	5.19	100.00	25.47	25.12	98.62	8.13	8.09	99.52	8.70	0.50	5.70	13.68	0.00	0.00	6.11	0.85	13.87	3.49	0.00	0.00	70.77	39.74	56.16
7ग	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.71	0.71	100.00	3.01	2.53	84.12	2.47	2.47	100.00	0.15	0.15	100.00	0.51	0.31	61.52	0.72	0.22	30.05	0.30	0.00	0.00	7.87	6.40	81.22
7घ	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.77	0.77	100.00	2.31	2.10	90.82	1.83	1.83	100.00	0.71	0.71	100.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	7.99	5.41	67.74
8	गुजरात*	11.23	11.23	100.00	18.32	15.85	86.53	29.06	21.48	73.90	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.07	1.97	0.00	0.00	0.00	72.82	48.63	66.78

9	हिमाचल प्रदेश	1.79	1.79	100.00	3.21	2.87	89.32	4.05	3.81	93.94	0.13	0.07	52.23	0.00	0.00	0.00	2.00	0.26	12.94	0.00	0.00	0.00	11.19	8.79	78.60
10	जम्मू-कश्मीर	1.84	1.84	100.00	5.29	5.12	96.90	10.59	9.89	93.33	0.26	0.09	34.26	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00	0.00	0.00	0.00	18.98	17.10	90.08
11	झारखंड	3.20	3.20	100.00	5.09	5.09	100.00	2.92	2.92	100.00	4.53	4.53	100.00	5.53	0.35	6.40	2.98	0.48	16.00	0.00	0.00	0.00	24.25	16.57	68.32
12	कर्नाटक	11.86	11.86	100.00	17.43	17.43	100.00	22.04	20.76	94.20	0.61	0.61	100.00	9.15	8.89	97.17	4.29	2.28	53.22	0.00	0.00	0.00	65.38	61.84	94.58
13	केरल	5.53	5.53	100.00	8.32	8.32	100.00	14.73	12.87	87.34	4.61	4.03	87.41	0.00	0.00	0.00	2.83	0.52	18.31	1.58	0.00	0.00	37.61	31.27	83.14
14	मध्य प्रदेश	9.73	9.73	100.00	23.93	23.93	100.00	22.51	22.51	100.00	0.39	0.39	100.00	11.21	4.90	43.72	6.28	6.16	98.16	0.00	0.00	0.00	74.05	67.62	91.32
15	मद्रास	10.24	10.24	99.96	24.62	24.63	100.02	25.45	24.62	96.72	5.11	3.97	77.70	0.00	0.00	0.00	4.73	2.32	49.08	0.00	0.00	0.00	70.15	65.77	93.75
16	मणिपुर	0.53	0.53	99.75	4.24	3.65	86.20	1.19	0.49	41.11	0.65	0.63	96.78	0.61	0.36	59.22	1.30	0.08	6.03	0.76	0.00	0.00	9.27	5.73	61.85
17	मेघालय	0.19	0.19	100.00	3.26	2.74	83.99	3.65	3.33	91.32	0.62	0.61	98.93	0.92	0.06	6.49	2.32	0.34	14.58	2.23	0.29	13.07	13.17	7.56	57.37
18	ओडिशा	7.57	7.57	100.00	7.71	7.71	100.00	12.70	12.26	96.52	1.59	0.42	26.38	13.46	0.00	0.00	3.37	1.56	46.34	0.00	0.00	0.00	46.41	29.52	63.61
19	पटना	8.04	8.04	100.00	26.41	25.26	95.66	8.72	4.41	50.63	0.13	0.00	0.00	7.08	2.44	34.49	5.44	1.67	30.67	0.00	0.00	0.00	55.82	41.83	74.93
20	पंजाब और हरियाणा	11.63	11.63	100.00	17.92	17.92	100.00	11.54	11.54	100.00	8.49	8.49	100.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.57	12.59	0.00	0.00	0.00	54.13	50.15	92.66
21	राजस्थान	9.97	9.97	100.00	23.04	22.19	96.30	25.05	25.01	99.83	3.01	2.91	96.49	1.29	1.29	100.00	10.58	3.81	36.00	1.62	0.00	0.00	74.56	65.17	87.40
22	सिक्किम	0.18	0.18	99.98	1.79	1.70	94.69	1.40	1.39	99.12	0.80	0.44	54.74	1.61	0.68	42.37	1.01	0.52	51.45	0.77	0.00	0.00	7.58	4.91	64.85
23	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश**	13.90	13.90	100.00	14.31	9.80	68.53	33.95	23.78	70.03	8.13	0.13	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.29	47.61	67.73
24	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	1.20	1.20	100.00	4.38	4.38	99.93	2.86	2.86	100.00	1.77	1.77	100.00	2.24	1.29	57.79	4.44	2.71	60.94	0.96	0.00	0.00	17.86	14.22	79.60
26	उत्तराखंड	2.98	2.98	100.00	2.66	1.82	68.38	4.60	1.54	33.40	0.13	0.07	52.23	0.00	0.00	0.00	1.28	0.52	40.45	0.00	0.00	0.00	11.65	6.92	59.40
	कुल	**202.23**	**200.00**	**98.90**	**326.79**	**304.30**	**93.12**	**347.65**	**300.92**	**86.56**	**77.71**	**43.85**	**56.43**	**88.44**	**34.59**	**39.12**	**107.74**	**33.56**	**31.14**	**13.81**	**0.29**	**2.11**	**1,164.37**	**917.51**	**78.80**

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित निधि सम्मिलित है।

** निधि जारी की गई जिसे पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जारी किया था, और दोनों राज्यों ने उपलब्ध निधियों को क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया था।

उपाबंध-2

ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3301 जिसका उत्तर 05/08/2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

ई- न्यायालय चरण- II के अधीन कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का उच्च न्यायालय और राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	**न्यायालय**
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	617
3	बॉम्बे	दादरा और नागर हवेली	3
3		दमन और दीव	2
3		गोवा	39
3		महाराष्ट्र	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	14
4		पश्चिमी बंगाल	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	434
6	दिल्ली	दिल्ली	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	28
7		असम	408
7		मिजोरम	69
7		नागालैंड	37
8	गुजरात	गुजरात	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	162
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	218
11	झारखंड	झारखंड	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	1031
13	केरल	केरल	484
13		लक्षद्वीप	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	24
		तमिलनाडु	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	38
17	मेघालय	मेघालय	42
18	ओडिशा	उड़ीसा	686
19	पटना	बिहार	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	30
20		हरियाणा	500
20		पंजाब	541
21	राजस्थान	राजस्थान	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	271
	कुल		**18735**

****